राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4216/2024

रामचन्द्र कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आलेडी ब्लॉक शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.12.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आलेडी ब्लॉक शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडी मलिक, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर में पदस्थापित किया गया। उक्त आलोच्य आदेश राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 के दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति के अनुमोदन के उपरांत की गई है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया गया है, जो सक्षम अधिकारी नहीं है।

अपीलार्थी वर्तमान में बीएलओ के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है तथा आदेश दिनांक 08.10.2024 से बीएलओ कार्य में लगे कार्मिकों के स्थानांतरण करने पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के आसपास अनेक विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी का दूरस्थ स्थानांतरण किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आलेडी ब्लॉक शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों /परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)